उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P.POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः 1325-गोपन-06/पाकालि/26-05-सा0गो0/2020 		दिनांकः 30-04-2026

प्रबंध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, एवं, केस्को, कानपुर, एवं,
प्रबंध निदेशक,
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

विषयः- अभियंता/गैर अभियंता अधिकारियों एवं अवर अभियंताओ की प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्यायें ई०आर०पी पर ससमय भरे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया कारपोरेशन आदेश संख्या-1145-गोपन-06/पाकालि/26-05-सा0गो0/2020 दिनांक 24.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की वार्षिक गोपनीय आख्याओं को ई०आर०पी० पर ससमय भरे जाने/अग्रसारित किये जाने सम्बन्धी विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि० एवं सहयोगी वितरण निगमों व उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में कार्यरत अभियंता/गैर-अभियंता अधिकारियों एवं अवर अभियंताओ की ऑनलाइन वार्षिक गोपनीय आख्याओं को ई०आर०पी० पर ऑनलाइन किये जाने, कार्मिकों द्वारा उसमें स्वमूल्यांकन किये जाने, प्रविष्टिकर्ता अधिकारियों-यथा प्रतिवेदक, समीक्षक/सहसमीक्षक, अन्तिम अधिकारी/अधिकारियों द्वारा उसमें ससमय मूल्यांकन किये जाने संबंधी निर्गत दिशानिर्देशों को यथावत रखते हुए, उक्त आदेश द्वारा निर्धारित Timelines को, कारपोरेशन स्तर पर प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की लम्बित वार्षिक गोपनीय आख्याओं की समीक्षा के उपरान्त, पुनः निम्नवत संशोधित किया जाता हैः-

प्रतिवेदी द्वारा स्वांकन प्रस्तुत किये जाने की तिथि	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि	समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि	सहसमीक्षक अधिकारी (यदि हो तो), द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि	अन्तिम अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर अग्रसारित किये जाने की तिथि
15 मई, 2026	31 मई, 2026	15 जून, 2026	30 जून, 2026	31 जुलाई, 2026

उपरोक्तानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 हेतु ई०आर०पी पर वार्षिक गोपनीय आख्याओ को भरे जाने की कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त आदेश एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते है, उपर्युक्त आदेश को अपने

अधीनस्थ समस्त अधिकारियो के मध्य परिचालित करने व तदनुसार उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

30/4/26

(डॉ आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

संख्याः 1325-गोपन-06/पाकालि/26-05-सा0गो0/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(2) निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(3) निदेशक(का०प्र०एवंप्रशा०) /निदेशक (वाणिज्य)/ निदेशक(वितरण)/ निदेशक(पारेषण)/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक(तकनीकी)/ निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग)/ निदेशक(कार्य एवं परियोजना)/ निदेशक(ऑपरेशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(4) निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), मध्यांचल वि०वि०नि०लि, लखनऊ/पूर्वांचल वि०वि०नि०लि, वाराणसी/ पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि, मेरठ/ दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि, आगरा/ केस्को, कानपुर।

(5) अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी प्रांगण, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(6) समस्त मुख्य अभियंता (स्तर 1/स्तर 2), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(7) समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/अवर अभियंता, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।

(8) महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/उप-महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन)/समस्त मुख्य लेखाधिकारी/समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/समस्त लेखाधिकारी/समस्त सहायक लेखाधिकारीगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(9) महाप्रबन्धक (औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(10) कारपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिविर।

(11) समस्त नामित Discom ACR Admin/Transco ACR Admin/Master ACR Admins को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(12) अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को समस्त अधिकारियो को संज्ञानार्थ प्रेषित किये जाने हेतु उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

(रवि कुमार)
उपसचिव (गोपन)